न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2015

ज्वालासिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सचिव ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानर

दिनांक 09.09.2015

उपस्थितिः—

श्री जीतपाल सिंह सैनी अभिभाषक अपीलांट।

निर्णय

दिनांकः 08.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं वादी /अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 92ए 183, 187, 188 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि चक 1 सी बड़ी के मु.न. 56 के कि.न. 1 से 25 के 6.2 है. भूमि वादी व वादी के भाई बहिनों के नाम से गैरखातेदारी दर्ज है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादी की बहिनों ज्वालों बाई व कश्मीरकौर ने अपना 1/6, 1/6 हिस्सा बैयनामा वादी के पक्ष में कर दिया है परन्तु इसका इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है । वादी के पास इस समय कि.न. 1 से 12 व 15 की 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण मु.न. 56 के कि.न. 5 में नाजायज पुलिया बनाने जा रहें है। पुलिया बनाने से वादी को पानी लगाने का काम रूक जायेगा इसलिए पुलिया का निर्माण रोका जाना आवश्यक है। वादी ने तीन महीने पहले सरपंच से कहा कि

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वे वादी के कब्जा से सड़क हटा लेवे तथा मौके पर खाला चालू कर देवे परन्तु दिनांक 3.11.09 को ऐसा करने से इन्कार कर दिया । यही वादकारण पैदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के अनुतोष की मद क से ग अनुसार वाद डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदान किया, वाद एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दु कायम किये एवं सुनवाई करने के पश्चात वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

रेस्पो. को रजि.सम्मन से तलब किया गया लेकिन उनका ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ऐसे वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार अधी.न्यायालय को था क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई तनकी भी कायम नहीं थी । फिर भी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद को खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर वाद वादी स्वीकार किया जावें ।

वकील अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वादी/अपीलांट ने अपने वाद में अपनी खातेदारी भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था। इसी बिन्दु पर तनकीयात निर्मित होकर साक्ष्य सग्रहित हुई परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा दावा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जो एक विधिक बिन्दु है जिसके सम्बन्ध में अधी.न्यायालय में कोई विधिक तनकी कायम की गई न ही उस पर पक्षकारों को सुना गया जो प्रारम्भिक रूप से नियम विरूद्ध है तथा खाला निर्माण का क्षेत्राधिकार का बिन्दु नहीं है विवेचित करने का बिन्दु अपीलांट की कृषि भूमि एवं उस पर उसकी सहमति के बिना विधिक प्रकिया बनाये बिना खाला निर्माण करना है जो रा.का.अ. के तहत

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विधिवत सुनने का क्षेत्राधिकार उपखंड अधिकारी का है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.09.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर